न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./110/2022

1. गोपाल पुत्र सुरजमल जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. जगदीश पुत्र सुरजमल जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. रामदयाल पुत्र सुरजमल जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र मगना जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. सोनारायण पुत्र श्री मगना जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. हगामीलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– सांवरलाल चौधरी, राजू लाल जाट
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा उदयपुरखेड़ा पटवार क्षेत्र निमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता संख्या 17 में दर्ज खसरा नं. 87 रकबा 0.92 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.92 हैं0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम उदयपुरखेड़ा का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा उदयपुरखेड़ा पटवार क्षेत्र निमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता संख्या 17 में दर्ज खसरा नं. 87 रकबा 0.92 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.92 हैं0 है,** प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **चांपानेरी** को 1000/–(एक हजार रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)